राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 45/2024

आयशा बानो **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, Bhadoon, जिला अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.01.2024
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश स्वीकार करते हुए वेतन भुगतान किए जाने के आदेश फरमाये जावें और अपीलार्थी को सहायक रेडियोग्राफर (यूटीवी) के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदूण, जिला अजमेर में कार्यग्रहण करने के निर्देश फरमाते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 14.09.2023 के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर संविदा आधार पर यूटीवी के अंतर्गत नियुक्ति हुई और उसे सीएचसी भदूण, अजमेर पदस्थापित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 19.09.2023 को कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी ने दिनांक 20.09.2023 को बच्चे को जन्म दिया, जो जन्म प्रमाण पत्र अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है। अपीलार्थी ने नियमानुसार 180 दिवस का मातृत्व अवकाश चाहने बाबत् दिनांक 19.09.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अपीलार्थी ने दिनांक 15.12.2023 के द्वारा कार्यग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मेडिकल फिट होने के उपरांत अपीलार्थी ने कार्यग्रहण करना चाहा, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दूसरा अभ्यावेदन दिनांक 18.12.2023 को प्रस्तुत किया। परंतु उक्त अभ्यावेदनों का कोई निराकरण नहीं करते हुए अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया और न ही मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये गये, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 22.12.2023 को पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्यग्रहण करने हेतु कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। प्रत्यर्थी विभाग के उक्त कृत्य से परेशान होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश स्वीकार करते हुए वेतन भुगतान किए जाने के आदेश फरमाये जावें और अपीलार्थी को सहायक रेडियोग्राफर (यूटीवी) के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदूण, जिला अजमेर में कार्यग्रहण करने के निर्देश फरमाते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 14.09.2023 की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.09.2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदूण पर सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कार्यग्रहण किया और दिनांक 20.09.2023 को अपीलार्थी द्वारा प्रसूति अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवकाश पर प्रस्थान करने हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनांक 15.12.2023 को प्रसूति से निवृत्त होकर कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर पुनः कार्य पर लेने हेतु निवेदन किया गया, परंतु निदेशक द्वारा यह टिप्पणी की गई कि *''यदि कार्मिक ने समय पर कार्यग्रहण कर लिया एवं नियमानुसार अवकाश प्राप्त*

किया हो तो कार्यग्रहण करवाये जावें।'' के साथ मूल उपस्थिति प्रार्थना पत्र कार्यालय को बता दिया गया। अपीलार्थी का चयन अतिआवश्यक अस्थायी आधार पर सहायक रेडियोग्राफर के पद पर किया गया था। परंतु अपीलार्थी के कार्यग्रहण के दूसरे दिन ही प्रसूति अवकाश पर चले जाने से विभाग का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया, जिससे बाधा उत्पन्न हुई, जिसके कारण अपीलार्थी को चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 14.09.2023 की पालना में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर संविदा आधार पर यूटीवी के अंतर्गत दिनांक 19.09.2023 को सीएचसी, भदूण में कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी ने दिनांक 20.09.2023 को एक शिशु को जन्म दिया, जो जन्म प्रमाण पत्र अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है। अपीलार्थी ने नियमानुसार प्रसूति अवकाश चाहने बाबत् दिनांक 19.09.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रसूति पश्चात् चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ/फिट होने पर अपीलार्थी ने दिनांक 15.12.2023 के द्वारा कार्यग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने हेतु न ही अनुमति प्रदान की गई और न ही उक्त मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये गये। जहां तक अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश पश्चात् कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं करने एवं मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/नियम प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियमों के अंतर्गत अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने कार्यालय आदेश दिनांक 14.09.2023 की पालना में दिनांक 19.09.2023 को सीएचसी, भदूण में कार्यग्रहण किया और जन्म प्रमाण पत्र अनुलग्नक–3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने दिनांक 20.10.2023 को एक शिशु को जन्म दिया, जिसके कारण अपीलार्थी प्रसूति अवकाश पर रही, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने मातृत्व अवकाश चाहने बाबत् विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है और मातृत्व अवकाश पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 18.12.2023 को पुनः कार्यग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके क्रम में विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने के संबंध में कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई और न ही उक्त

मातृत्व अवकाश विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मीनाक्षी राव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1598/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2017 में ऐसी परिस्थिति में मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं किया जाना अनुचित माना है। इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.06.2009, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है :–

> *"(i) Female Contractual persons engaged in various departments of the State Government with the prior approval of Finance Department and who have less than two surviving children, may be allowed maternity leave upto a period of 180 days with remuneration/contractual amount.*
>
> *(ii) If there is no surviving child even after availing it twice, Maternity Leave may be granted on one more occasion.*
>
> *(iii) Leave remuneration shall be payable at the rate remuneration/contractual amount, which she is entitled to on the day before the leave commences.*
>
> *(iv) This order shall also be applicable to those female contractual persons who are presently on maternity leave."*

इसी प्रकार कार्यालय निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध करायी गई सूचना दिनांक 28.12.2023 जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि *''आवश्यक/अस्थायी आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश एवं पुरूष कार्मिक को वित्त विभाग के आदेशानुसार पितृत्व अवकाश देय है। मातृत्व अवकाश 180 दिवस का देय है,''* विभाग द्वारा तीसरी संतान पर उक्त मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है। जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी के साथ तीसरी संतान का कोई मामला नहीं है। विभाग द्वारा ऐसा कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता। परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, जो हमारे मत में उचित प्रकट नहीं होता है एवं विभाग का ऐसा उक्त कृत्य असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को राज्य सरकार के परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त को

दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान किया जावे और नियमानुसार पुनः कार्यग्रहण कराने की अनुमति प्रदान की जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)